न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2017

लखविन्द्र कौर पुत्री चन्दसिंह पत्नी जसकरणसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। —अपीलार्थी

बनाम

1. जोरा सिंह पुत्र चन्दसिंह
2. दर्शनसिंह पुत्र चन्दसिंह
3. जसराम पुत्र मुख्त्यारसिंह पुत्र चन्दसिंह
4. जसपालसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह पुत्र चन्दसिंह
5. सुखचैनसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह पुत्र चन्दसिंह
6. सुरजीत कौर पत्नी पुत्र मुख्त्यारसिंह पुत्र चन्दसिंह

जाति जटसिख निवासी किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 21.12.2016

उपस्थित–

श्री प्रेमप्रकाश मक्कड, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री पी.एस.बराड अभिभाषक रेस्पो

निर्णय दिनांक 02.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 से 6 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 34 एम.एम. के खाता सं. 38/45 में 0.540है0, चक 31 एम.जे.डी. बी के सं. 13/19 में 0.939है0, चक 36 एम.एम. के खाता सं. 22/61 में 0.244है0 भूमि का रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल नहीं करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

2/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी को जरिये रजि. नोटिस से तलब किया गया उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 21.11.2016 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण की सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 21.12.2016 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एक तरफा तोर पर पारित किया गया है। अपीलांट विवादित भूमि की खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखें बिना आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 2001 पेज 20 की नजीर पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अधी. न्यायालय में रजि.सम्मन से तलब किया गया था। लेकिन उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधी.न्यायालय रहन, बैय न करने का एवं रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया है जिससे किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध रेस्पों. के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है जो अपीलांट को सुने बगैर पारित किया है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन आदेश निर्णय की इबारत अनुसार एकपक्षीय पारित होना प्रमाणित है। अधी. न्यायालय की सन्दर्भ फर्दअहकाम है कि वकील प्रार्थी हाजिर, अप्रार्थी की तामील जरिये रजि.एडी से तलबी करवायी गई। वकील प्रार्थी द्वारा रसीद पेश की गई। एक माह से अधिक

2/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

समय बीत जाने के बाद आज दिनांक तक अप्रार्थी हाजिर नहीं आया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस पर अपीलांट को पता अंकित है कि लखविन्द्र कौर पत्नी जसकरणसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ अंकित है तथा भारतीय डाक की जो रसीद पेश की है वह लखविन्द्र सिंह बुगलानवाली धोलीपाल के पते पर भेजे जाना प्रमाणित है। अपीलांट के नाम एवं पते में विभेद होना प्रमाणित है। अतः की गई एकपक्षीय कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट को सुने बिना उसके विरूद्ध निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.12.2016 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर